



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक- 20.12.2025

विषय:- “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना मण्डुवाडीह मे पंजीकृत डी०पी० एकट के मामले में अभियुक्त को 07 वर्ष का कारावास व कुल 10,000/- रु० का अर्थदण्ड की सजा।

थाना मण्डुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु०अ०सं०- 65/2022 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डीपी एकट से सम्बन्धित अभियुक्त संतोष पुत्र छेदी निवासी भुल्लनपुर थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक मण्डुवाडीह व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक- 20.12.2025 को माननीय विशेष न्यायालय पाक्सो-ii जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए धारा 498ए के अन्तर्गत 02 वर्ष का कारावास एवं 5000/- रु. अर्थदण्ड, धारा 304बी भादवि अन्तर्गत 07 वर्ष का कारावास तथा धारा 4 डीपी एकट के अन्तर्गत 06 माह का कारावास एवं 5000/- रु. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।